

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-194/2016/1272/चि0-3-16-टी-1(71)/2016,  
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2016  
कार्यालय जाप

डा0 अशोक कटारिया, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-10159, लेवल-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ में एतदद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 अशोक कटारिया को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-194/2016/1272 (1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर/मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर/मेरठ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर/मेरठ।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर)।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/8।
- 10- गार्ड फाईल।

आजा से,  
  
(जे0एल0यादव)  
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-195/2016/सी0एम0-456/चि0-3-16-टी0-1(160)/2016

लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2016

कार्यालय जाप

कार्यालय जाप संख्या-35/2016/575(2)/चि0-3-16-टी0-1(119)/2016, दिनांक 16-03-2016 द्वारा डा0 राम चन्द्र यादव, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-10037, लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के जिला चिकित्सालय, बलरामपुर में किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए यू0एच0एम0 जिला (पुरूष) चिकित्सालय, कानपुर नगर में एतदद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 राम चन्द्र यादव को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-195/2016/सी0एम0-456 (1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर/देवीपाटन मण्डल; गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/जिला चिकित्सालय, बलरामपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/बलरामपुर।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलरामपुर)।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-196/2016/सी0एम-482/चि0-3-16-टी0-1(173)/2016  
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-111/2016/वी0आई0पी0-153/चि0-3-16-टी0-1(87)/2016, दिनांक 28-06-2016 (क्रमांक-10) द्वारा डा0 मो0 असलम, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11912क2, ले0-2), जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का जनहित में जिला महिला चिकित्सालय, सोनभद्र किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-06-2016 इस सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-196/2016/सी0एम-482(1)/चि0-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़/सोनभद्र।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़/सोनभद्र।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़।)
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गाई फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।